कार्यालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

क्रमांक / स्टेशनरी / 2017–18 / 1214

अलीराजपुर,दिनांक 13/4/1

"– निविदा शर्ते –"

स्टेशनरी विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर,जिला अलीराजपुर के उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवश्यक लेखन सामग्री क्रय करने हेतु निम्न शर्तो के साथ निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं :–

01. निविदाएँ शीलबन्द लिफाफे में दिनांक 28,04.2017 को दोपहर 03:00 बजे तक अधीक्षक कलेक्टोरट अलीराजपुर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं। नियत दिनांक व समय के पश्चात् प्रस्तुत होने वाली निविदाओं पर विचार नही किया जावेंगा।
02. निविदा प्रस्तुत करने के पुर्व प्रतिभूति राशि 25,000/–(अक्षरी – पच्चीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/एफ. डी.आर. कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के नाम से बनाया जाकर कोटेशन के सलग्न प्रस्तुत किये जा सकेगे। बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. कोटेशन के संलग्न नही पाये जाने पर कोटेशन स्वीकर नही किये जावेंगें।
03. निविदा प्रपत्र रूपये 1,000/–(अक्षरी – ऍक हजार मात्र) जिला नाजिर कलेक्टोरेट अलीराजपुर के पास नगदी जमा कराकर रसीद के माध्यम से दिनांक 27.04.2017 तक सायं 05:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता हैं। निविदा प्रपत्र में ही सामग्री के आगे मुल्य अंकित करना आवश्यक हैं। आपके द्वारा अंकित मुल्य में किसी प्रकार की काट–छाट (ओव्हर राईटिंग) मान्य नही की जावेगी। अंकित किये मुल्य स्पष्ट होना चाहिए। निविदाकर्ता के द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
04. निविदा प्रपत्र नियमानुसार स्टेशनरी विक्रेताओं द्वारा स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही प्रस्तुत की जावेगी। मुल्य स्वीकृत होने पर वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि में कार्यालय को सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगा। सामग्री प्रदाय न करने पर उनके विरूद्व नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा स्त्रोतो से सामग्री क्रय करने में जो अन्तर की राशि होगी व त्रुटिकर्ता फर्म से वसुल की जावेगी।
05. स्वीकृत ब्राण्ड, साईज क्वालिटी एवं मात्रा के अलावा अन्य किसी प्रकार की सामग्री प्रदाय की जावेगी तो संबंधित फर्म से न केवल प्रतिभुति की राशि राजसात की जावेगी, अपितु वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।
    - क्रय की जाने वाली सामग्री के बिलों का भुगतान शासन के द्वारा बजट आवंटन राशि प्राप्त होने पर ही किया जावेगा।
06. निविदा प्रपत्र के साथ सूची अनुसार प्रत्येक सामग्री नमुना (पेकेट इत्यादि) प्रस्तुत करना आवश्यक हैं, तथा नमुने पर आयटम नंबर अंकित किया जाए तथा फर्म का नाम भी लिखा जाना आवश्यक हैं।
07. सूची अनुसार प्रत्येक प्रकार के कागज किसी भी कंपनी के होना आवश्यक हैं। कोटेशन स्वीकृति के समय कागज की क्वालिटी पर विशेष ध्यान रखा जावेगा।
08. निविदाकर्ता द्वारा जो नमुने प्रस्तुत किये जावेगे उन पर सिरियल नबंर अनिवार्य रूप से लिखना होगा। सामान्यतः न्युनतम मुल्य की निविदाएँ स्वीकृत होगी लेकिन सामग्री की क्वालिटी के आधार पर न्युनतम मुल्य से अधिक मुल्य की सामग्री की दरें भी स्वीकृत की जा सकेगी।
09. जिस फर्म के जो आयटम स्वीकृत होते है तथा स्वीकृत फर्म के विरूद्व किसी भी कार्यालय द्वारा सामग्री ब्राण्ड/मात्रा/क्वालिटी आदि के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो उसी को आधार माना जाकर संबंधित फर्म के विरूद्व निविदा सूचना में उल्लेखित शर्तो के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
10. निविदा प्रस्तुत की जाने वाली फर्म का श्रम विभाग का पंजीयन आयकर विभाग का पेन नंबर तथा उसका सेल्स टेक्स नबंर होना आवश्यक हैं। रजिस्ट्रेशन क्रमांक निविदा में स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक हैं। बगैर रजिस्ट्रेशन वाली फर्म की निविदा को स्वीकार नही किया जावेगा। रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करें।
11. यदि किसी ऐसे निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत होती है , जिसकी दुकान प्रस्तुत किये गये पते पर नही पाई जाती हैं तो उसे माल की पुर्ति मागकर्ता कार्यालय में ही आकर करना होगी।
12. स्वीकृति फर्म द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निविदा में उल्लेखित ब्राण्ड/मात्रा/क्वालिटी की ही होना अनिवार्य होगी।

13. निविदा दिनांक 28.04.2017 को दोपहर 03:30 बजे प्रभारी अधिकारी द्वारा खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। संबंधित निविदाकर्ता की अनुपस्थिति के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।
14. किसी भी निविदा अथवा उसके किसी अंश को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
15. फर्म द्वारा प्रस्तुत स्टेशनरी सामग्री दर के साथ – साथ प्रत्येक सामग्री का नमुना प्रस्तुत करना होगा।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर,
जिला अलीराजपुर

पृ.क्रमांक/स्टेशनरी/2017–18/ 1215
अलीराजपुर,दिनांक 13/4/17

प्रतिलिपि–

01. अपर संचालक (विज्ञापन) जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उक्त आशय का संक्षिप्त विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
02. आयुक्त, इन्दौर, संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
03. जिला जनसंपर्क अधिकारी, अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु।
04. जिला कार्यालय अलीराजपुर के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।
05. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसीलदार सर्व जिला अलीराजपुर के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
06. अधीक्षक, कलेक्टोरेट अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ
07. श्री ए.बी. सागर, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। संक्षिप्त समाचार पत्र डी.एम. अलीराजपुर के वेबसाईट पर अपलोड करे।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर,
जिला अलीराजपुर